बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0सं0–3/अ0प्र0–1–127/2022 121 /पटना, दिनांक– 12.1.23

बेगूसराय जिलान्तर्गत साहेबपुर कमाल प्रखंड में कार्य प्रमंडल, बलिया के अधीन नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजनान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर आहो कृति टोला चौकी एवं विष्णुपुर आहोक के बीच निर्मित 8X24.75 मी0 आकार के उच्च स्तरीय पुल के पियर P1 एवं P2 के बीच का डेक स्लैब के टूट कर नदी में गिर जाने की घटना की जाँच अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की गयी। अभियंता प्रमुख के पत्रांक–2950 अनु0 दिनांक–20.12.2022 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आलोच्य पुल के पीयर P1 तथा P2 के बीच के Super Structure का स्पैन तीनों मेन गर्डर के बीचों बीच टूट जाने के कारण क्षतिग्रस्त होकर नदी में गिरा हुआ पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार पुल के पियर P1 एवं P2 के बीच का स्पैन अपने Self load के कारण ही क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कार्य के खराब गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। इसके लिए संवेदक एवं संबंधित अभियंता को जिम्मेवार माना गया।

2. जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–2214 अनु0 दिनांक–23.12.2022 द्वारा श्री शम्स तबरेज, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री तबरेज से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए इनके विरूद्ध गठित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतएव श्री तबरेज के विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया जाता है।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री शम्स तबरेज, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय– अभियंता प्रमुख का कार्यालय) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

5. आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

11/1/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:**Secartary rwd bihar@gmail.com,**& secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127./2022 /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि:–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलंब विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी जाय तथा 45 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में एवं कार्यवाही/अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

11/1/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि:–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री शम्स तबरेज, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय–अभियंता प्रमुख का कार्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/1/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 122 /पटना, दिनांकः– 12-1-23

प्रतिलिपि:– विभागीय आइ0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/1/2023

विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in